

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

3

M.Cr.C. No.10894/2022

(Kalla @ Vidyaram Vs. State of M.P.)

following conditions by the applicant:-

1. The applicant will comply with all the terms and conditions of the bond executed by him;
2. The applicant will cooperate in the investigation/trial, as the case may be;
3. The applicant will not indulge himself in extending inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade them from disclosing such facts to the Court or to the Police Officer, as the case may be;
4. The applicant shall not commit an offence similar to the offence of which he is accused;
5. The applicant will not seek unnecessary adjournments during the trial;
6. The applicant will not leave India without previous permission of the trial Court/Investigating Officer, as the case may be;
7. **Applicant shall mark his presence on every Monday before the concerned Police Station between 10:30 am to 2 pm till conclusion of trial without any fail and shall register his presence otherwise his bail shall be cancelled.**
8. **Applicant shall not be a source of harassment and embarrassment to the complainant party in any manner and shall not move in their vicinity and if any harassment and embarrassment is caused by the applicant to the complainant side, then benefit of bail shall be immediately withdrawn and it would be the duty of police officers to look into the complaint**

of complainant side if any mischief is done by the applicant.

9. It is made clear that this bail is granted once the case is made out for bail and thereafter, direction for plantation of saplings is given and it is not the case where a person intends to serve social cause can be given bail without considering the merits.

एतद् द्वारा यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक 05 पौधों का फल देने वाले पेड़ अथवा नीम/पीपल) रोपण करेगा तथा उन्हें अपने आस पड़ोस में पेड़ों की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने की व्यवस्था करनी होगी ताकि पौधे सुरक्षित रह सकें। आवेदक का यह कर्तव्य है कि न केवल पौधों को लगाया जाए, बल्कि उन्हें पोषण भी दिया जाए। “वृक्षारोपण के साथ, वृक्षापोषण भी आवश्यक है।” आवेदक विशेषतः 6-8 फीट ऊंचे पौधे/पेड़ों को लगायेगे ताकि वे शीघ्र ही पूर्ण विकसित हो सकें। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आवेदक को रिहा किये जाने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष वृक्षों/पौधों के रोपण के सभी फोटो प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात्, अगले तीन वर्ष तक हर तीन महीने में आवेदक के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

वृक्षों की प्रगति पर निगरानी रखना आवेदक का कर्तव्य है क्योंकि पर्यावरण क्षरण के कारण मानव अस्तित्व दांव पर है और न्यायालय अनुपालन के बारे में आवेदक द्वारा दिखाई गई किसी भी लापरवाही को नजर अंदाज नहीं कर सकता है। इसलिए आवेदक को पेड़ों की प्रगति और आवेदक द्वारा अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है एवं आवेदक द्वारा किये गये अनुपालन की एक संक्षिप्त रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तीन माह में प्रस्तुत की जायेगी।

वृक्षारोपण में या पेड़ों की देखभाल में आवेदक की ओर से की गई कोई भी चूक आवेदक को जमानत का लाभ लेने से वंचित कर सकती है।

आवेदक को अपनी पसंद के स्थान पर इन पौधों/पेड़ों को रोपने की

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

5

M.Cr.C. No.10894/2022

(Kalla @ Vidyaram Vs. State of M.P.)

स्वतंत्रता होगी, यदि वह इन रोपे गये पेड़ों की ट्री गार्ड या बाड़ लगाकर रक्षा करना चाहता है, अन्यथा आवेदक को वृक्षों के रोपण के लिए तथा उनके सुरक्षा उपायों के लिए आवश्यक खर्च वहन करना होंगे।

इस न्यायालय द्वारा यह निर्देश एक परीक्षण प्रकरण के तौर पर दिए गए हैं ताकि हिंसा और बुराई के विचार का प्रतिकार, सृजन एवं प्रकृति के साथ एकाकार होने के माध्यम से सामाजस्य सीपित किया जा सके। वर्तमान में मानव अस्तित्व के आवश्यक अंग के रूप में दया, सेवा, प्रेम एवं करुणा की प्रकृति को विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह मानव जीवन की मूलभूत प्रवृत्तियां हैं और मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इनका पुनर्जीवित होना आवश्यक है।

यह निर्देश आवेदक के द्वारा स्वतः व्यक्त की गई सामुदायिक सेवा की इच्छा के कारण दिया गया है जो स्वैच्छिक है।

“यह प्रयास केवल एक वृक्ष के रोपण का प्रश्न न होकर बल्कि एक विचार के अंकुरण का है।”

It is expected from the applicant that he shall submit photographs by downloading the mobile application (NISARG App) prepared at the instance of High Court for monitoring the plantation through satellite/Geo-tagging.

Application stands allowed and **disposed of.**

Copy of this order be sent to the trial Court concerned for compliance.

Certified copy as per rules.

**(Anand Pathak)
Judge**

Rashid